



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012022-232489
CG-DL-E-07012022-232489

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 7, 2022/पौष 17, 1943

No. 85]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 2022/PAUSHA 17, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2022

का.आ. 86(अ).—तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 8 की उप-धारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 20क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा तम्बाकू बोर्ड को फसली मौसम 2021-22 की नीलामी के दौरान की अवधि के लिए यह प्राधिकार देती है कि वह कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य में अपने नीलामी मंचों पर दोनों राज्यों में पंजीकृत किसानों द्वारा उगाई गई अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू तथा अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उगाई गई अनाधिकृत फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की खरीद करने के लिए तम्बाकू बोर्ड के पंजीकृत व्यापारियों तथा डीलरों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान करती है, अर्थात:-

- (क) वर्ष 2021-22 के फसली मौसम के लिए प्रत्येक पंजीकृत उपजकर्ता को बेशी फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन पर एक रुपए, प्रति किलोग्राम तथा बिक्री अर्जन के पांच प्रतिशत (उत्पादकों द्वारा देय आय के एक प्रतिशत के सामान्य सेवा प्रभार सहित) की राशि का योगदान तम्बाकू निधि में करना होगा;
- (ख) वर्ष 2021-22 के फसली मौसम के लिए प्रत्येक अपंजीकृत उत्पादक द्वारा उत्पादित अनाधिकृत फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू पर तम्बाकू निधि में एक रुपए प्रति किलोग्राम और बिक्री आय के पांच प्रतिशत (उत्पादकों द्वारा देय अर्जन के एक प्रतिशत के सेवा प्रभार सहित) की राशि का योगदान तम्बाकू निधि में करना होगा;
- (ग) वर्ष 2022 के लिए तम्बाकू की फसल के संबंध में अधिकारों के रिकार्ड की एक प्रति प्रस्तुत की जानी है।

[फा.सं. 5/3/2019-ईपी(एग्री-VI)/भाग]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th January, 2022

S.O. 86(E).—In exercise of the powers conferred by section 20A, read with clause (g) of sub-section (2) of section 8 of the Tobacco Board Act, 1975 (Act 4 of 1975), the Central Government hereby authorises the Tobacco Board to allow the registered traders and dealers of the Tobacco Board to purchase at its auction platforms in the State of Karnataka and Andhra Pradesh during the auctions for Crop Season 2021-22, the excess flue cured virginia tobacco produced by registered growers and unauthorized flue cured virginia tobacco produced by unregistered growers in both the States, subject to the following conditions, namely:-

- An amount of Rupees One per kilogram and Five per cent, of the proceeds of the sale (including a normal service charge of one per cent. of proceeds payable by growers) shall be contributed to the Tobacco Fund by every registered grower for the excess flue cured virginia tobacco produced by him or her for 2021-22 crop season.
- An amount of Rupees One per kilogram and Five per cent, of the proceeds of the sale (including a normal service charge of one per cent. of proceeds payable by growers) shall be contributed to the Tobacco Fund by every unregistered grower for the flue cured virginia tobacco produced by him or her for 2021-22 crop season.
- A copy of the Record of Rights in respect of tobacco crop for the year 2022 is to be furnished.

[F.No.5/3/2019-EP(Agri-VI)/Pt.]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2022

का.आ. 87(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975(1975 का 4) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील प्रदान की जाए;

और, यतः केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत उत्पादकों की अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू तथा अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अनाधिकृत फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री तम्बाकू बोर्ड के निर्दिष्ट नीलामी मंचों से की जाए;

इसलिए, अब, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975(1975 का 4) की धारा 8 की उप-धारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 14(ए) की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 10 की उप धारा (1) के प्रावधानों के प्रवर्तन में वर्ष 2021-22 के फसली मौसम में फसल की नीलामी के दौरान ढील प्रदान करती है तथा पंजीकृत उत्पादकों की अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की पैदावार तथा अपंजीकृत उत्पादकों की अनाधिकृत फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की पैदावार की बिक्री तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी मंचों पर करने की अनुमति प्रदान करती है।

[फा.सं. 5/3/2019-ईपी(एग्री-VI)/भाग]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2022

S.O. 87(E) .—Whereas, the Central Government is satisfied that circumstances have arisen rendering it necessary in the public interest, to relax the restrictions imposed by the Tobacco Board Act, 1975 (Act 4 of 1975);

And, whereas, the Central Government considers it necessary to dispose of the excess flue cured virginia tobacco of registered growers and flue cured virginia tobacco of unregistered growers at the designated auction platforms of the Tobacco Board in the States of Karnataka and Andhra Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30, read with clause (g) of sub-section (2) of section 8 of the Tobacco Board Act, 1975 (Act 4 of 1975), the Central Government hereby relaxes the operation of the provisions of sub-section (1) of section 10 read with sub-section (1) of section 14A of the said Act in the States of Karnataka and Andhra Pradesh during the auctions in the Crop Season 2021-22, and permits the sale of excess flue cured virginia tobacco crop of the registered growers and unauthorised flue cured virginia tobacco crop of the unregistered growers at the auction platforms authorised by the Tobacco Board.

[F.No.5/3/2019-EP(Agri-VI)/Pt.]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.